महत्वपूर्ण

संख्या :3177 /आठ–5–2021

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2021**

विषयः शासन के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गो के नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार हैं। इस संवर्ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन में निहित है। स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों का स्थानान्तरण आदेश निर्गत किया जाता है, परन्तु कतिपय प्रकरणों में संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा या तो स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता है। शासन के आदेशों के अवहेलना की स्थिति खेदजनक है। इसके साथ यह भी देखा जा रहा है कि शासन के आदेश द्वारा तैनात कार्मिक को कतिपय प्राधिकरणों द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में शासन के आदेश का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं बिना शासन की अनुमति के किसी भी कार्मिक को एक तरफा कार्यमुक्त न किया जाय। भविष्य में इस प्रकार की घटना संज्ञान में आने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Go A 21

Scanned with CamScanner